

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र०स० 147/19 ता० रजु. 9.12.19. किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

रमिन्द्र पुत्र लक्ष्मण गुप्ति

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा डहर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा डहर के खसरा नम्बर 171 रकबा 0.36 हैक्ट. किस्म भूमि गौ.सु.नाला पर सम्बत 2076 में श्री रमिन्द्र 31. लक्ष्मण गुप्ति कि० कपुरा डहर तह० बयाना ने 0.16 हैक्ट अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 171 रकबा 0.16 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा डहर से बेदखल किया जाता है। लगान 0.64 का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 325 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जादे। पैन्ल्टी वसूली खड़ी फरारत को कब्जेराज लेकर फर्द नीलाभी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बावत हल्का पटवारी/ गिःदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली को मांग सामझ
 दिनांक 14/1/20 29
 2019-20
 न्यायालय
 न्यायालय
 न्यायालय


 तहसीलदार
 बयाना